

590/97064
07/03/18

अति आवश्यक / तिथि बद्ध
कोर्ट केस

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकुला

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी / मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादी क्रमांक 20/03-2018सै0शि0(5)
दिनांक पंचकुला

Subject:- CWP No 22527 of 2017 - Jyoti Sehgal Vs Union of India & ors.

विषयांकित मामले में आज दिनांक 06.03.2018 को हुई सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में आपको सूचित किया जाता है कि अपने अधीन सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर निम्न सूचना अंकित करने बारे सुनिश्चित करें कि “-

“किसी भी विकलांग विद्यार्थी को दाखिले के लिए मना नहीं किया जाए तथा उसका Exam Centre भी उसी स्कूल में होना चाहिए।”

कृपया उपरोक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

अतिरिक्त निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा
पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला 7.3.2018

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

- 1) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
- 2) निजी सहायक, निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकुला।
- 3) निजी सहायक, निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला।
- 4) सचिव, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी।
- 5) उप निदेशक ,आई.टी.सैल को प्रति भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि हिदायतों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

अतिरिक्त निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा
पंचकुला